34

पु/निग०/रीवा/2017/3881

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा,

जिला-रीवा (म0प्र0)

1. शकुन्तला पाण्डेय पिता स्व0 यज्ञ प्रताप तिवारी उम्र 50 वर्ष, पत्नी अंजीन प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम–खम्हरिया, पोस्ट–खड्डा, तहसील–सेमरिया, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. ललितादेवी मिश्रा पिता स्व0 यज्ञ प्रताप तिवारी उम्र 46 वर्ष पत्नी श्री कुण्डलेश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम–जोकिहा, पोस्ट–खजुहा, तहसील–गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)
3. अखिलेश त्रिपाठी नाना स्व0 यज्ञप्रताप तिवारी पिता चक्रमणि त्रिपाठी निवासी ग्राम–कुठुलिया, पोस्ट–रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)
4. बिमलेश त्रिपाठी नाना स्व0 यज्ञप्रताप तिवारी पिता चक्रमणि त्रिपाठी निवासी ग्राम–कुठुलिया, पोस्ट–रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

आवे० अखिलेश त्रिपाठी
द्वारा पेश/13.10.17

-------**निगरानीकर्तागण**

बनाम्

अनीस कुमारी पति रमाकान्त अग्निहोत्री पुत्री स्व0 यज्ञप्रताप तिवारी निवासी पद्मधर कालोनी ढेकहा, गन फैक्ट्री के सामने वाली रोड, प्रकाश भवन ढेकहा रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

...आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

---------**अनावेदक**

निगरानी विरूद्ध निर्णय वा आदेश तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक–94अ–6 /2008–09 दिनांक 27–06–2009 अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वी

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:–

1. यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक | तीन / निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 3881

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22\8\18	यह निगरानी तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 94 अ–6 / 2008–09 में पारित आदेश दिनॉक 27–6–2009 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के अंतर्गत अनावेदक का पॅजीकृत दानपत्र के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया है , जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदकगण के अभिभाषक ऐसा कोई सकारात्मक ठोस आधार भी नहीं बता सके हैं कि जिस आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी को होगी, उस आदेश के विरूद्व सीधे निगरानी राजस्व मण्डल में किन ठोस आधारों के आधार पर सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार व्दारा पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मंडल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	